COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

C-880151-2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2005 पुनरीक्षण

R 216-II/2005

श्री एस. के. वाजपेयी - एडवोकेट द्वारा आज दि. 21/2/05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

21 FEB 2005

मिठ्ठनलाल पुत्र बंशीधर अग्रवाल
निवासी रुई की मण्डी, मुरेना
तहसील एवं जिला मुरेना --- आवेदक

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- रघुवरदयाल पुत्र हरविलास वैश्य
निवासी सिकरवारी बाजार, मुरेना
3- बालमुकुन्द पुत्र पुरुषोत्तम वैश्य
निवासी फायर ब्रिगेड स्टेशन के सामने
एम0 एल0 रोड मुरेना -- अनावेदकगण

अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरेना द्वारा प्रकरण क्रमांक 196/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-2005 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि ग्राम अहोखर की भूमि सर्वे क्रमांक 540 मिन का क्षेत्रफल 14 बीघा 15 बिस्वा में से आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 विक्रय-पत्रों दिनांक 29-7-1976, 28-4-1977 एवं 10-8-1977 द्वारा

R-216. 17/05 (5 उज्जैन

6-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को मृतक अनावेदक के वारिसों की जानकारी पेश करने हेतु अवसर दिए गए थे किंतु उनकी ओर से अभी तक उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया एवं ना ही मृतक के वारिसों की जानकारी पेश की गई है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाने में रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य